BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 09 सितम्बर 2023 **थाना कोतवाली नगर**

चोरी की घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण व एक अर्टिगा गाड़ी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 07-09-2023 को श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र गनेश अग्रवाल निवासी म0नं0-10 फिरोजाबाद रोड़ नियर गल्ला मंडी, आयुष बिहार कालोनी जनपद आगरा ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि वह दिनांक 07.09.2023 को आगरा से अपने मालिक के जेवरात लेकर बस से मेरठ जा रहा था, रास्ते में तहसील बस स्टैंड बुलन्दशहर में वह जलपान के लिए उतरा तभी अज्ञात अभियुक्त द्वारा सामान चुरा लिया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 794/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 09.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर वलीपुर नहर पुल के पास से तीन चोरो को चोरी किये गये आभूषण व एक अर्टिगा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मुकेश शर्मा पुत्र राम निवासी शर्मा निवासी पंकज स्कूल के पास रामनगर निकट बीएसए फैक्ट्री के सामने थाना एत्माद्दौला आगरा।
2. अजय शर्मा पुत्र राम निवासी शर्मा निवासी उपरोक्त।
3. दुर्गेश उर्फ माता पुत्र नीरज कुलश्रेष्ठ निवासी जाहरवीर मन्दिर के पास टेडी बगिया फाउन्ड्रीनगर थाना ट्रांस यमुना जनपद आगरा।

बरामदगी-

1. चोरी किये गये 39.416 किलोग्राम सफेद धातू के आभूषण
2. 01 अर्टिगा गाड़ी नं0 – UP-80FF-0680

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह भी चांदी का काम करते हैं। उनके द्वारा अंशुल अग्रवाल उपरोक्त की बस का पीछा अर्टिगा कार से जनपद आगरा से ही किया जा रहा था उनकी योजना थी कि जहां भी बस रुकेगी आभूषण लेकर फरार हो जायेगें। आगरा से चलने के बाद बस कुल चार जगह हाथरस, अलीगढ, खुर्जा व तहसील बस स्टैंड बुलन्दशहर पर रुकी। तहसील बस स्टैंड बुलन्दशहर पर बस रुकने पर अंशुल अग्रवाल जल पान के लिए गया तो वे मौका देखकर बस में रखे आभूषणों को लेकर अर्टिगा गाडी से फरार हो गये।

अभियुक्त मुकेश शर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 204/20 धारा 323/366/376 भादवि थाना एतेमाद्दौला जनपद आगरा।
2. मुअसं- 228/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना एतेमाद्दौला जनपद आगरा।
3. मुअसं- 794/23 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त अजय शर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 228/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना एतेमाद्दौला जनपद आगरा।
2. मुअसं- 794/23 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त दुर्गेश उर्फ माता का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 794/23 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. श्री सुभाष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर मय पुलिस टीम।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव, उ0नि0 सोबरन सिंह, उ0नि0 दिनेश मलिक
3. है0का0 कपिल कुमार, है0का0 सुधीर कुमार, म0है0का0 अंशु चौहान

स्वाट टीम-

1. मौ0 असलम प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम
2. है0का0 अशोक यादव, है0का0 नीरज त्यागी, है0का0 अशोक कुमार, है0का0 विशाल चौहान, है0का0 वसीम, है0का0 आरिफ

मीडिया सैल बुलन्दशहर